तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

प्र.सं. 25/2023 जीसीएमएस : 2023/122

1. सुखविन्द्र सिंह पुत्र जस्सा सिंह जाति जटसिख निवासी 45 जीबी, तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर –वादी

बनाम

1. सेवकराम
2. होतचन्द
3. मेघराज

पुत्र बूलामल जाति सिंधी निवासी 43 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,92ए,209 राज.काश्त.अधि.

उपस्थिति :–

1. श्री ओम धायल, अधिवक्ता वादी
2. राजपैरोकार
3. एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 1 से 3

–:: निर्णय ::–

18.12.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के पिता बूलामल पुत्र अर्जनमल के नाम से चक 51 जीबी मु.नं. 34 प.नं. 214/451 कि.नं. 16,17,18 व मु.नं. 47 प.नं. 219/452 कि.नं. 16,25 की भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2074–2077 का खाता सं. 109 में है। उपरोक्त भूमि प्रतिवादीगण को क्लैम में पिता के नाम से आवंटित हुई थी इसलिए उक्त भूमि बाबत समस्त हक हकूक पिता के देहान्त उपरांत प्रतिवादीगण को प्राप्त थे। प्रतिवादीगण को वर्ष 1980 में रूपयों की जरूरत होने पर प्रतिवादीगण ने अपना रकबा को जरिये बैयनामा 11.02.1980 के द्वारा वादी को विक्रय कर समस्त प्रतिफल नकद प्राप्त कर कब्जा भूमि वादी के सुपुर्द किया हुआ है जिस पर वादी खरीद रोज से ही साधिकार, निरन्तर शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा है। वर्तमान में भी उक्त भूमि वादी के शांतिपूर्वक कब्जा में है। वादी के कब्जा में पिछले 42 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है इसलिए उक्त भूमि बाबत समस्त खातेदारी अधिकार वादी में औद्य हो चुके है व वादी स्वयं को उक्त भूमि का खातेदार टिनेन्ट घोषित करवाने व इस हेतु अनवानी वाद लाने का विधिक अधिकारी है। वादी के द्वारा प्रतिवादीगण से प्रतिफल अदा कर पंजीकृत बैयनामा के द्वारा खरीद की हुई है व इसे अपना मानते हुए इसमें अपना अथाह धन व परिश्रम खर्च कर इसे संवारा, सुधार व कृषि योग्य बनाया है वादी के द्वारा इस भूमि में किये गये सुधारों की बदौलत भूमि की कीमत में आशातीत वृद्धि हुई है व किस्म में सुधार होने से अच्छी पैदावार हो रही है। भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के पिता बूलामल के नाम से दर्ज चली आ रही है जिनका देहान्त हो चुका है प्रतिवादीगण उसके विधिक उत्तराधिकारी है व बतौर विधिक उत्तराधिकारी भूमि वादी को विक्रय कर प्रतिवादीगण व उनकी माता लीलाबाई के द्वारा बैयनामा वादी के पक्ष में करवाया हुआ है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से समय समय पर सम्पर्क कर मुताबिक बैयनामा भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाने बाबत कहा जाता रहा है जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा आश्वासन दिया जाता रहा है वे शीघ्र ही अपने जिम्मे की औपचारिकताएं पूर्ण कर भूमि को वादी के नाम से दर्ज करवा देगे व आश्वस्त किया कि बैयनामा पंजीयन आपके पक्ष में करवाया हुआ है कब्जा भूमि आपके पास है घबराने की कोई बात नहीं है जैसे ही औपचारिकताएं पूर्ण हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:37:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

जावेगी तो हम आपको सूचित कर देगे व व आप अपने नाम से जरीये बैयनामा नामान्तरणकरण दर्ज करवा लेना जिसमें हमारे सहयोग की आवश्यक्ता होगी तो हम करेगे। जिस पर वादी सद्भावी विश्वास करता रहा एवं समय व्यतीत होता रहा है। प्रतिवादीगण की माता लीलाबाई का भी अब देहान्त हो चुका है। वादी के द्वारा भूमि में किये गये सुधारों की बदौलत भूमि की किस्म में सुधार होने से अच्छी पैदावार होने व कीमतों में आशातीत वृद्धि होने से अब प्रतिवादीगण के मन में लालच व बेईमानी आ गयी व अर्सा करीब 15 रोज पूर्व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 अपने साथ कुछ व्यक्तियों को लेकर आये व भूमि दिखाकर विक्रय प्रस्ताव करने लगे जिस पर वादी ने कहा कि उक्त भूमि मेरी खरीद की हुई है व मेरे निरन्तर कब्जा काश्त में है मात्र नामान्तरणगरण प्रक्रिया शेष होने से अभी बूलामल के नाम से दर्ज चली आ रही है तो एक बार तो वे वहां से चले गये जिस पर वादी ने मौतबीरान व्यक्तियों की पंचायत कर प्रतिवादीगण को समझाया कि आपने भूमि वादी को विक्रय कर बैयनामा करवाया हुआ है व कब्जा सुपुर्द किया हुआ है और आप अपने जिम्मे की औपचारिकताए पूर्ण कर नामान्तरणकरण वादी के नाम से दर्ज करवाने में सहयोग करें व भूमि बूलामल के नाम से दर्ज होने का किसी प्रकार का नाजायज लाभ उठाते हुए अन्य किसी के साथ संव्यवहार नहीं करे तो प्रतिवादीगण नहीं माने व ऐलानिया धमकी दी कि वे भूमि बूलामल के नाम से दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाते हुए अन्य को बढे हुए दामों पर विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित कर वादी को जबरन, बलपूर्वक उक्त भूमि से महरूम एवं बेदखल कर देगे बस यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद कारण है। यदि प्रतिवादीगण अपने विधि विरूद्ध कृत्यों में कामयाब हो जाते है तो वादी को अपनी खरीदशुदा व शांतिपूर्वक कब्जा में चली आ रही भूमि से महरूम एवं बेदखल होना पडेगा वादी के विधिक अधिकारों का हनन होगा व तृतीय पक्षकार के हित सृजित होने से पक्षकारान के मध्य विवाद बढेगा, मुकदमाबाजी बढेगी न्याय में अनावश्यक विलम्ब होगा। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। राजस्थान सरकार भू धारक होने से आवश्यक पक्षकार है इसलिए बतौर प्रतिवादी पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। वाद पत्र मा. न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है एवं पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर होकर अन्दरमियाद पेश है। वाद को वादग्रस्त भूमि चक 51 जीबी मु.नं. 34 प.नं. 214/451 कि.नं. 16,17,18 व मु.नं. 47 प.नं. 219/452 कि.नं. 16,25 की 1.240है. का खातेदार टिनेन्ट घोषित करने की डिक्री जारी करने व मुताबिक डिक्री राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज किये जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। राजपैरोकार जवाब सरकार पेश कर सरकार के हित को सुरक्षित रखते हुए वाद का निर्णय किये जाने हेतु निवेदन किया। तनकीयात कायम की गई जो कि अद्योलिखित अनुसार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:37:51 IST
Reason: SelfAttested

1. आया कि वादी विवादित भूमि चक 51 जीबी मु.नं. 34 प.नं. 214/451 कि.नं. 16,17,18 व मु.नं. 47 प.नं. 219/452 कि.नं. 16,25 की 1.240है. भूमि बैयनामा दिनांक 11.02.1980 के आधार पर अपने नाम दर्ज करवा उक्त भूमि पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है ? वादी
2. अनुतोष, न्यायालय की आज्ञा से।

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
	वादी की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र वादी सुखविन्द्र सिंह का पेश हुआ जिस पर दस्तावेज प्रदर्श लगाए गए। बहस वकील वादी सुनी गयी। वकील वादी अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि विवादित भूमि वादी की प्रतिवादीगण के पिता से जरिए पंजीबद्ध बैयनामा खरीदशुदा है। बैयनामा के रोज से ही विवादित भूमि संबंधित समस्त अधिकार वादी को प्राप्त हो चुके है। प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है। विवादित भूमि रिकार्ड में प्रतिवादीगण के पिता के नाम से ही दर्ज चली आ रही है। राजस्व रिकार्ड में बैयनामा के आधार पर अमलदरामद नहीं हुआ है। अब प्रतिवादीगण के मन भूमि की कीमत में वृद्धि हो जाने के कारण लालच आ गया है। भूमि पर वादी बैयनामा के आधार पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः वाद पत्र स्वीकार डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया। बहस वकील वादी पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में तनकी सं. 1 तथा उसी के आधार पर अनुतोष तय किये जाने के कारण एक साथ विवेचन किया जा रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श सं. 1वाद पत्र है, वाद पत्र के अभिवचनों पर मनन किया। आधार कार्ड सुखविन्द्र सिंह 830075511550 प्रदर्श 4ए है। प्रदर्श 2 जमाबंदी चक 51 जीबी खाता सं. 109 है जिस अनुसार चक 51 जीबी के प.नं. 214/451 मु.नं. 34 कि.नं. 16, 17, 18 एवं प.नं. 219/452 मु.नं. 47 कि.नं. 16, 25 की कुल 1.240है. नहरी भूमि बुलामल पुत्र अर्जनमल जाति सिन्धी सा. देह राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम से दर्ज है। प्रदर्श सं. 3ए बैयनामा बैयनामा सेवकराम, होतचन्द, मेघराज जरिए माता लीलाबाई बहक सुखविन्द्र सिंह है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से परिशीलन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श सं. 2 जमाबंदी अनुसार विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में बुलामल के नाम से राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम से दर्ज है, अतः यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर अब तक खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये है ना ही वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रमाणित होता हो कि विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार दिए जा चुके है। वादी द्वारा बैयनामा दिनांक 11.02.1980 के आधार पर विवादित भूमि पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है। बैयनामा में स्पष्ट रूप से विक्रेता द्वारा अंकित किया गया है कि उक्त भूमि कस्टोडियन द्वारा अलॉट है। परन्तु भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने बाबत कोई तथ्य अथवा दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। भूमि पर खातेदारी अधिकार दिए [illegible] किये गये अन्तरण विधिमान्य नहीं है, जो कि राजस्व [illegible] कारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन [illegible] वादी अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। वाद पत्र खारिज योग्य है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद [illegible] वाद पत्र खारिज किया जाता है। **निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।** शकुन्तला उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:47:51 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाइ
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)
C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीविजयनगर
बईजलास शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 25 / 2023
जीसीएमएस नं. : 2023 / 122

1. सुखविन्द्र सिंह पुत्र जस्सा सिंह जाति जटसिख निवासी 45 जीबी, तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर —वादी

बनाम

1. सेवकराम
2. होतचन्द
3. मेघराज

पुत्र बुलामल जाति सिंधी निवासी 43 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर —प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,92ए,209 राज.काश्त.अधि.

—: निर्णय :—

दिनांक : 18.12.2025

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री ओम धायल तथा राजपैरोकार की उपस्थिति में वाद के आज अन्तिम निपटारे हेतु पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :—

"वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है।"

डिक्री आज दिनांक 18.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीविजयनगर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प डयूटी	02	7.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	—
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	—	8.अर्जी के लिए स्टाम्प	—
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प..... रूपये पर प्लीडर की फीस	—	9.प्लीडर की फीस	—
4.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	—	10.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	—
5.कमिश्नर की फीस	—	11.आदेशिका की तामील	—
6.आदेशिका की तामील	—	12-कमिश्नर की फीस	—
जोड़	02	जोड़	—

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:37:51 IST
Reason: SelfAttested